न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 161/2020

अनवान : –

1. मोहनाराम पुत्र भगवानाराम निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बलवीर पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ़।
2. मैना देवी पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
3. सावित्री पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
4. व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
5. विधा देवी 6. कविता 7. संतोष कुमारी ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजय कड़वासरा **गैरसायल**

निर्णय

दिनांक: 17/2/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा उतरादा तहसील नोहर के ख0न0 318 की 12.025है0 भूमि सायल व गैरसायलान स0 1 ता 3 की मुश्तरका खाता की भूमि है जिसमें सायल का 2531/24050 हिस्सा है तथा गैरसायल स0 1 का 10759/24050 हिस्सा भूमि एवं गैरसायल स0 2 का 538/2405 हिस्सा तथा गैरसायल स0 2 का 538/2405 हिस्सा तथा गैरसायल स0 3 का 538/2405 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज के कारण, अच्छी बुरी के हिसाब से काश्त क़रने व अदायगी माल आदि के कारण हम पक्षकारान में तनाजात रहता है। गैरसायल न0 1 जो बाहर का व्यक्ति है उक्ति भूमि में से अच्छी किस्म का बैचान करने पर आमाद है। सायल इस खसरा न0 318 के दक्षिण में अपना हिस्सा की भूमि काश्त करता है। सायल ने इस जगह को समतल व उपजाऊ बनाया है इसी का खाता व लगान अलग करवाना चाहता है।

सायल का प्रथम दृष्टया प्रकरण बखूबी साबित है तथा प्राकृतिक न्याय का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बनता है क्योंकि अगर गैरसायल मुश्तरका खाता की भूमि का बैचान करता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला [illegible] रोही मौजा ललानाबास उतरादा के ख0न0 318 की 12.0250है0 भूमि को रहन/[illegible] और रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास उतरादा के ख0न0 318 की 12.0250है0 भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के किसी विशेष हिस्से का बेचना नही करें। अप्रार्थी स0 1 की और से अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की वाद भूमि बाबत सिविल कोर्ट में एक रिट पिटिशन स0 1388/2012 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार थी जिसमें राजीनामा के आधार पर दिनांक 28.04.2012 को डिक्री फरमाया गया जो सायल ने इस्तदुआ चाही है वो पूर्व में राजीनामा दिनांक 28.04.2018 में ख0न0 318 की 12.0250है0 बारानी प्रथम में से 1.265है0 भूमि यानि 5 बीघा दक्षिण पासा की भूमि गैरसायल स0 1 ने सायल व गैरसायल स0 2 व 3 को दे दी है जो की मुताबिक राजीनामा दी गई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय गैरसायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

विधादेवी, कविता, संतोश कुमारी जाति ब्राहमण निवासी ढीलकी द्वारा जंरिये अधिवक्ता **O1R10 CPC** का प्रार्थना पत्र पेश किया। सायल अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नही होने के कारण प्रार्थना पत्र **O1R10 CPC** व प्रार्थना पत्र **O1R10** (2) व 151 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में गैरसायल स0 5 ता 7 विधादेवी, कविता, संतोश कुमारी का अंकन कर बतौर पक्षकार संयोजित किया गया। गैरसायल स0 5 ता 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के ख0न0 315 की 12.0250है0 भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी स0 1 ता 3 की मुश्तरका खाता की भूमि है। शामिल खाता की भूमि पर सभी का बराबर का हक होता है खाता विभाजन के समय समस्त भूमि के रकबा को अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब भूमि की तजबीज बनाई जाकर ही खाता विभाजन किया जाता है। गैरसायल स0 1 के हक हिस्सा में दर्ज भूमि में से 2.6897है0 विधादेवी ने व 2.6898है0 भूमि कविता व संतोष कुमारी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.02.2022 को खरीद की है तथा गैरसायल स0 1 के स्थान पर काबिज है। अब अप्रार्थी स0 6 ता 8 सायल एवं गैरसायल स0 2 व 3 का तथा सायल का उपरोक्त भूमि में हक व हिस्सा है मुताबिक हि0स्सा उक्त भूमि का खाता विभाजन अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब का खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से 2.6897हैक विधादेवी ने व 2.6898हैक कविता व संतोष कुमारी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.02.2022 को खरीद की है तथा वर्तमान में इनके कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या–5 ता 7 ने अप्रार्थी संख्या–1 से जरिये बैयनामा खरीद भूमि की [illegible] चूकाई है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा एंव कब्जा की भूमि का बयान किया गया। यदि अप्रार्थी संख्या–1 अपनी हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा व कब्जाशुदा भूमि का बैचान करता है तो प्रार्थी को कोई क्षति होनें की संभावना नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने हक व हिस्सा एंव कब्जाशुदा भूमि का बैचान किया है न कि प्रार्थी का हिस्सा और न ही किसी विशेष हिस्से का। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested